न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 225/2022
दायर दिनांक :– 01.04.2022

अनवान

1. बच्छी पत्नि स्व. अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा तह. जहाजपुर
2. देवराज पिता अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा ना. स. माता बच्छी पत्नि स्व. अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा तह. जहाजपुर
3. दिनेश कुमार पिता अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा ना. स. माता बच्छी पत्नि स्व. अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा तह. जहाजपुर
4. सोना पिता अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा ना. स. माता बच्छी पत्नि स्व. अम्बालाल मीणा नि. ओडियाखेडा तह. जहाजपुर
5. राजू पिता सुखा मीणा नि. ओडियाखेडा तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण..............

बनाम

1. रामकुंवार पिता सुखा मीणा नि. ओडिया खेडा तह. जहाजपुर
2. कल्याण पिता सुखा मीणा नि. ओडिया खेडा तह. जहाजपुर
3. रतना पिता देबी चमार नि. जामोली तह. जहाजपुर
4. कल्ली पत्नि हरजी मीणा नि. ओडिया खेडा तह. जहाजपुर
5. गंगा पत्नि चतरभुज मीणा नि. ओडिया खेडा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री शैतान सिंह राणावत, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 27.07.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओडिया खेडा प. ह. भरणीकलॉ तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 297/2, 300/1 कुल किता 02 रकबा 0.8013 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के साथ रणजीत के खातेदारी में दर्ज होकर खातेदार रणजीत पिता सुखा मीणा नि. ओडिया खेडा लाऔदात फोत हो जाने से प्रार्थीगण ही उसके विधिक उत्तराधिकारी हो उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम ओडिया खेडा प. ह. भरणीकलॉ तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 579/300, 635/534 कुल किता 02 रकबा 1.6188 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 खातेदारी में दर्ज है। एंव आराजी सं. 636/534, 691/564 कुल किता 02 रकबा 1.6269 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज है। आराजी सं. 300/5 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज है। आराजी सं. 300/2, 300/3, 300/4, 692/564 कुल किता 04 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

6996 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 4 व 5 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण अने हक व हस्से पर काबिज काश्त है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि में जामोली से भरणीकलॉ जाने वाले मुख्य रास्ते से आराजी सं. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 आराजी के बदिशा पूर्वी मेड पर होकर प्रार्थीगण की आराजी सं. 297/2, 300/1 में जाता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया जो ए स्थान से बी स्थान तक उक्त 12 फिट चौडा रास्ता है संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग हैं उक्त रास्ता से विगत 40 वर्षो से प्रार्थीगण ट्रेक्टर द्वारा हकाई बुआई व फसल को लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण का अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 ने कांटो की बाड लगाकर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 ने कांटों की बाड लगाकर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आना जाना एंव खेती करना दुर्लभ हो गया है। एवं वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत खाली पडे हुये है। इस कारण नजरी नक्शें में दर्शाये लाल रंग के रास्ते ए से बी बिन्दु के मध्य रास्ते को नक्शा ट्रेस में तरमीम करवा रास्ता खुलासा किया जाना आवश्यक एव न्याय संगत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से 5 को वर्षो पूर्व चले आ रहे रास्ते को बंद करने से मना किया तो मरने मारने एंव लडाई झगडा करने पर आमादा हुये। यदि उक्त रास्ता को खुलासा नही करते है तो प्रार्थीगण अपने खाते की जमीन पर आ जा नही पायेगें न ही कृषि कार्य कर पायेगे और न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगें। इसलिये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु मे 12 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट मे तरमीम करवा रास्ता किस्म दर्ज करवा रास्ते को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिये कानूनन प्रार्थीगण उक्त रास्ता को लट्ठा सीट में तरमीम करवा रास्ता घोषित करवाना चाहते है। एवं ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा प्रार्थीगण रास्ता में उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशि देने को तैयार है। दिनांक 20.07.2021 को अप्रार्थीगण उक्त विवादित रास्ते को कांटो की बाड बनाकर बंद कर देने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये रास्ते जो ए से बी बिन्दु है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 297/2, 300/1 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 14.06.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 में से रास्ता देने पर 360 वर्गमीटर, 40 वर्गमीटर, 192 वर्गमीटर, 192 वर्गमीटर, 192 वर्गमीटर कुल 976 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण की जोत आ.न. 297/2, 300/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की जोत तक पहुॅचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 300/5,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

579/300, 691/564, 300/4, 300/2 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में 12 फीट चौडे रास्ते प्रार्थना की थी, परन्तु भू. अ. नि. रोपा द्वारा मौका निरीक्षण वक्त प्रार्थीगण ने 4 मीटर चौडे रास्ते की प्रार्थना की थी। मौका निरीक्षण के समय अप्रार्थी सं 1, 2 व 5 भी मौजुद थे। अतः प्रार्थीगण को 4 मीटर चौडाई का ही मार्ग प्रदान कियाजावे। प्रार्थीगण इसके लिए निर्धारित प्रतिकर देने को तैयार है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 297/2, 300/1 में आने जाने हेतु ख. न. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 297/2, 300/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थीगण की आ.न. 297/2, 300/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 297/2, 300/1 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम ओडिया खेडा प. ह. भरणीकलां तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 297/2, 300/1 में आने जाने के लिये आ. न. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 300/5 में से रकबा 360 वर्गमीटर, आ.न. 579/300 में से रकबा 40 वर्गमीटर, आ.न. 691/564 में से रकबा 192 वर्गमीटर, आ.न. 300/4 में से रकबा 192 वर्गमीटर, आ.न. 300/2 में से रकबा 192 वर्गमीटर कुल 976 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 300/5, 579/300, 691/564, 300/4, 300/2 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 976 वर्गमीटर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 36425 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण (आ. न. 300/5 के खातेदार को 13436 रू., आ. न. 579/300 के खातेदार को 1493 रू., आ. न. 691/564 के खातेदार को 7165 रू., आ. न. 300/4, 300/2 के खातेदार को 14331 रू.) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner